अनुलग्नक IV

<u>निदेशक के साथ सहमति करार का फॉर्म</u>

यह सहमति करार ---- में दिनांक --- दो हजार --------को -----------------, जिसका पंजीकृत कार्यालय --------------------- में है (इसके पश्चात "एनबीएफ़सी-पी2पी" कहा जाएगा) एक पक्ष है और श्री/सुश्री/श्रीमती ---------------- (इसके पश्चात "निदेशक" कहा जाएगा) के बीच है, जो दूसरा पक्ष है।

जहां

a. उक्त उल्लिखित निदेशक को एनबीएफ़सी-पी2पी के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात "बोर्ड" कहा जाएगा) द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति की शर्त के रूप में उन्हें एनबीएफ़सी-पी2पी के साथ सहमति करार करना अपेक्षित है।

b. निदेशक ने उनकी नियुक्ति की शर्तों के पश्चात सहमति करार करने पर सहमति दर्शायी है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अब इस बात पर सहमति है और सहमति करार इस प्रकार साक्ष्यांकित है:

1. निदेशक इसका स्वीकार करता है कि एनबीएफ़सी-पी2पी के बोर्ड में निदेशक के रूप में उसकी नियुक्ति एनबीएफ़सी-पी2पी के ज्ञापन और अंतर्नियम सहित लागू कानूनों और नियमों एवं इस करार के प्रावधानों के अधीन है।

2. निदेशक एनबीएफ़सी-पी2पी के साथ पारस्परिक संविदा करता है कि:

(i) निदेशक बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी/उसके संबंध के प्रकार का प्रकटीकरण करेगा, यदि एनबीएफ़सी-पी2पी और किसी भी अन्य संस्था के बीच एक अनुबंध या व्यवस्था या किसी भी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में या उसका/ उसकी संबंध है या होना है। यह प्रकटीकरण, तुरंत जानकारी होने पर ही या बोर्ड की उस बैठक में जिसमे इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था से जुड़ जाने पर विचार हो रहा है या निदेशक बैठक की तारीख पर प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित नहीं थे तो उससे जुड़ जाने के बाद आयोजित पहली बैठक में और किसी भी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में वे संबंध या रुचि रखने पर, बोर्ड की पहली बैठक में किया जाएगा।

(ii) निदेशक बोर्ड को सामान्य नोटिस द्वारा उसकी/ उसके अन्य निदेशकता, कॉर्पोरेट निकायों मे उसका/ उसकी सदस्यता, अन्य संस्थाओं में उसकी/ उसके संबंध और फर्म के भागीदार या मालिक के रूप में उसकी/उसके संबंध का प्रकटीकरण करेगा और बोर्ड को उसमें सभी परिवर्तनों के बारे में अवगत कराता रहेगा।

(iii) निदेशक एनबीएफ़सी-पी2पी को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित उसकी/उसके रिश्तेदारों की एक सूची प्रदान करेगा और निदेशक के ज्ञान में उन रिश्तेदारों के कॉर्पोरेट, फर्म और अन्य निकायों में निदेशकता और संबंधों के बारे में जानकारी देगा।

(iv) निदेशक एनबीएफ़सी-पी2पी के निदेशक के रूप में उसकी/उसके कर्तव्यों के निर्वहन करते समय:

(a) उसकी/उसके ज्ञान या अनुभव के एक व्यक्ति से अपेक्षित उचित कौशल का उपयोग करें;

(b) उसकी/उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उससे यथोचित सदविश्वास में और एनबीएफ़सी-पी2पी के हित में स्वयं में निहित कोई भी शक्ति उससे उपयोग करने की उम्मीद की जाती है;

(c) एनबीएफ़सी-पी2पी की वित्तीय स्थिति, व्यापार, गतिविधियों के बारे में उसे किए गए प्रकटीकरण की हद तक खुद को जागरूक रखना होगा;

(d) बोर्ड और उसके समितियों (सामूहिक संक्षिप्तता की खातिर आगे चलकर "बोर्ड" कहा गया है) की बैठकों में उचित नियमितता के साथ भाग लेगा और उचित रूप से एनबीएफ़सी-पी2पी के निदेशक के रूप में उसकी / उसके दायित्वों को पूरा करना;

(e) एनबीएफ़सी-पी2पी के हित के अलावा अन्य किसी भी विचार के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा;

(f) एनबीएफ़सी-पी2पी को प्रभावित करने वाले बोर्ड के समक्ष लाया सभी मामलों पर जिसमे वैधानिक अनुपालन, प्रदर्शन की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानक सहित शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, स्वतंत्र निर्णय लेगा;

(g) बोर्ड के समक्ष लाया या बोर्ड द्वारा सौंपे गए मामलों में उसकी/उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग के साथ हस्तक्षेप करने वाले व्यवसाय या अन्य रिश्ते से मुक्त रहेगा; और

(h) किसी डर या पक्षपात के बिना और उसकी/उसके स्वतंत्र निर्णय के लेने पर कोई प्रभाव के बिना बोर्ड की बैठकों में उसकी/उसके विचार और राय व्यक्त करेगा;

(i) निदेशक का कर्तव्य होगा:

(a) एनबीएफ़सी-पी2पी के हित एवं सदविश्वास में और बिना किसी समपार्श्विक उद्देश्य के लिए प्रत्ययी कर्तव्य;

(b) केवल एनबीएफ़सी-पी2पी के ज्ञापन और अंतर्नियम और लागू कानूनों और नियमों द्वारा निर्धारित सीमा में शक्तियों का उपयोग कर कार्रवाई करने का कर्तव्य; और

(c) एनबीएफ़सी-पी2पी के कारोबार की उचित समझ प्राप्त करने का कर्तव्य।

(vi) निदेशक:

(a) उसे बोर्ड द्वारा करने के लिए सौंपे मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा;

(b) पूर्णकालिक निदेशकों और एनबीएफ़सी-पी2पी और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जहाँ अन्यथा विश्वास करने के लिए कारण है, वह तत्काल बोर्ड को उसकी/उसके चिंताओं का प्रकटीकरण करेगा; और

(c) बोर्ड के एक सदस्य के रूप में उसे मिली जानकारी का किसी और का लाभ करने के लिए अनुचित प्रयोग नहीं करेगा और निदेशक के रूप में क्षमता में एनबीएफ़सी-पी2पी द्वारा मिली जानकारी का उपयोग एनबीएफ़सी-पी2पी के निदेशक के रूप में केवल उसकी/उसके कर्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए और न किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा।

3. एनबीएफ़सी-पी2पी निदेशक के साथ संविदा करती है कि:

(i) एनबीएफ़सी-पी2पी निम्न के बारे में निदेशक को अवगत कराएगी:

(a) निदेशक के कानूनी और अन्य दायित्वों की पहचान सहित बोर्ड प्रक्रियाओं और वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन;

(b) नियंत्रण प्रणालिया और प्रक्रिया;

(c) बोर्ड बैठकों में मतदान के अधिकार और वे मामले जिनमे निदेशक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी/उसके हित होने से हिस्सा नहीं लेना है;

(d) योग्यता की शर्तों और ज्ञापन एवं अंतर्नियम की प्रतियां प्रदान करेगी;

(e) कंपनी की नीतिया और प्रक्रियाए;

(f) इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध;

(g) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, विचारार्थ विषय और अधिकार के हस्तांतरण,

(h) वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार;

(i) पारिश्रमिक नीति,

(j) बोर्ड की समितियों में विचार-विमर्श, और

(k) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणाली, एनबीएफ़सी-पी2पी के ज्ञापन और अंतर्नियम सहित लागू नियमों, अधिकार के हस्तांतरण, वरिष्ठ कार्यकारी आदि में किसी भी बदलाव की सूचना और सभी वैधानिक और कानूनी अनुपालन के लिए उत्तरदायी अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति।

(ii) एनबीएफ़सी-पी2पी, बोर्ड और निदेशक को वह सभी जानकारी और खुलासा देगी जो उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है एवं निदेशक बोर्ड, उसकी किसी समिति या किसी निदेशक को बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी मामलों के संबंध में सूचित निर्णय के लिए, विचार मे लेने के लिए आवश्यक है;

(iii) निदेशकों को एनबीएफ़सी-पी2पी द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नांकित शामिल होगा किन्तु इसी तक सीमित नहीं होगा:

(a) बोर्ड के समक्ष लाए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;

(b) एनबीएफ़सी-पी2पी की रणनीतिक और व्यापार की योजना और पूर्वानुमान;

(c) एनबीएफ़सी-पी2पी का संगठनात्मक संरचना और अधिकार का हस्तांतरण;

(d) कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और प्रक्रियाओं सहित प्रणाली;

(e) आर्थिक विशेषताएं और विपणन वातावरण;

(f) एनबीएफ़सी-पी2पी के उत्पादों पर उचित रूप में सूचना और अद्यतन जानकारी;

(g) प्रमुख व्यय पर जानकारी एवं अद्यतन;

(h) एनबीएफ़सी-पी2पी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; और

(i) रणनीतिक पहल और योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट;

(iv) एनबीएफ़सी-पी2पी निदेशकों और संबंधित कर्मियों को बोर्ड विचार-विमर्श के परिणाम सूचित करेगी और समयबद्ध तरीके से बोर्ड की बैठक के समापन की तिथि से दो व्यावसायिक दिनों के भीतर संभव हद तक निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त तैयार कर प्रसारित करेगी; और

(v) बोर्ड के समक्ष रखे मामलों में प्रत्यायोजित प्राधिकार के स्तर के बारे में निदेशक को सूचना देगी।

4. एनबीएफ़सी-पी2पी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज और उसकी प्रभावशीलता पर निदेशक को आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगी।

5. एनबीएफ़सी-पी2पी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी जो बोर्ड को रिपोर्टिंग करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी हो और नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा रिजर्व बैंक दिशा-निर्देशों तक ही सीमित न होकर अन्य संबंधित सांविधिक और सरकारी प्राधिकरण के द्वारा लागू कानूनों, नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करेगा।

6. निदेशक एनबीएफ़सी-पी2पी के निदेशक के रूप में अपने किसी भी अधिकार और दायित्वों को आवंटित, स्थानांतरण, प्रत्यायोजित या भारित नहीं करेगा या किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपेगा हालाकि इसे एनबीएफ़सी-पी2पी के ज्ञापन और अंतर्नियम सहित लागू कानूनों और नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी किसी भी समिति द्वारा किसी प्राधिकार, शक्ति कार्य या प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के हेतु न समझा जाए।

7. किसी दायित्व या कर्तव्य का निर्वहन, पालन या अनुपालन करने में किसी भी की ओर से विफलता से न तो छूट प्राप्त होगी नहीं और न ही इसे उस समय या उसके बाद किसी निर्वहन, पालन या अनुपालन के लिए एक रोक के रूप में माना जाएगा।

8. इस सहमति करार मे कोई भी या सभी संशोधन और/या बढ़ावा और/या परिवर्तन निदेशक और एनबीएफ़सी-पी2पी की विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और केवल लिखित में होने पर ही मान्य होगा।

9. यह सहमति करार दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियां मूल मानी जाएगी।

गवाह की उपस्थिती में पक्षों ने विधिवत् पहले ऊपर लिखा दिन, महीने और साल पर इस समझौते को किया।

एनबीएफ़सी-पी2पी के लिए	निदेशक
द्वारा	
नाम:	नाम:
पदनाम:	
की उपस्थिति में:	
1.	2